

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग/नर्स-1/वी-48,12 एस.198/ कोर्टकेस/14517/2024/176 दिनांक: 15/5/2024

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
एवं प्रभारी केस अधिकारी अलवर ।

विषय:—माननीय उच्च न्यायालय जयपुर मे दायर एस0बी0सिविल0रिट पिटीशन संख्या
10392/2021 एवं अवमानना संख्या 60/2022 श्रीमती विमला देवी पत्नि
स्व0संतलाल वर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे पारित निर्णय के संबध मे।

संदर्भ:—निदेशालय का पत्रांक 152 दिनांक 22.03.2023 के कम मे ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के कम मे एस0बी0सिविल0रिट पिटीशन संख्या
10392/2021 एवं अवमानना संख्या 60/2022 श्रीमती विमला देवी पत्नि स्व0संतलाल वर्मा बनाम
राजस्थान राज्य व अन्य मे आपको केस प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, ।

यदि आप द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना कर दी गई है तो माननीय
न्यायालय द्वारा जारी प्रकरण के निस्तारण आदेश की प्रति निदेशालय को भिजवावे, जिससे प्रकरण
के संबध मे उच्चाधिकारीयो को अवगत कराया जा सकें । विलम्ब कि स्थिति मे आप स्वयं जिम्मेवार
होगे ।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग/नर्स-1/वी-48,12 एस.198/ कोर्टकेस/14517/2024/176 दिनांक: 15/5/2024
प्रतिलिपी:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, माननीया अति0मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ,राजस्थान जयपुर।
2. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जयपुर।
4. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय ।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. रक्षित/गार्ड पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
6965661

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :14-05-2024 10:26:51